ईरफ़ाने शरीअत

आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत
इमाम अहमद रज़ा
रदियल्लाहो तआला अन्हो

الصلوٰة والسلام علیك یا رسول اللہ

सैकड़ों ज़रूरी मसाइल
का मजमुअ़-ए-मुबारका

* अज़ *

-: बफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ़्तिए अअ़्ज़म हज़रत अल्लामा शाह
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

पेशे अलफ़ाज़

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना अश्शाह अहमद रज़ा खॉ साहब बरेलवी رضی اللہ تعالیٰ عنہ की ज़ाते गिरामी मोहताजे बयान नही, अरब व अजम के अहले इल्म व फ़ज़ल ने आपं को मौजूदा सदी का मुजद्दिद तसलीम किया है । आप की अज़मत व शान व मरतबे का अन्दाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है के आप ने तक़रीबन 72 उलूम व फ़ुनून पर तक़रीबन 1300 किताबें अपनी यादगार छोड़ी है ।

आला हज़रत की विलादत 10 शव्वाल 1272 हिजरी में बरेली में हुई आप आख़ारी उमर तक शरीअत व तरीक़त के मतवालों को क़ुरआन व सुन्नत के शरबत और इश्क़े मुस्तफ़ा के जाम भर भर कर पिलाते रहें और 25 सफ़र 1340 हिजरी बरोज़ जुम्अ़ को इधर मौअज़्ज़िन ने حیّ علی الفلاح की सदा दी और उधर आप अपने रब्बे क़दीर के दरबार में हाज़िर हो गये ।

आला हज़रत की बारगाह में हिन्दुस्तान, बरमा, अफ़गानिस्तान, अफ़रीक़ा, हेजाज़े मुक़द्दस और दिगर इस्लामी शहरों से सैकड़ों सवालात आते थे जिन की तअ़दाद एक वक़्त में कभी 400 और कभी 500 तक जा पहुँचती थी, इस बात का ज़िक्र उनके साहबज़ादे हुज्जुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा खॉ साहब رحمۃ اللہ علیہ ने ख़ूद किया है । अफ़रीक़ा से बे शुमार सवालात आते रहते थे चुनानचे उसे एक किताब की शक्ल में शाए किया गया और उस का नाम भी "फ़तावे अफ़रीक़ा" है ।

फ़तवा नवेसी के येह फ़राइज़ बग़ैर किसी उजरत या रूपयों की लालच के सिर्फ़ अल्लाह व उसके रसूल की खुशनूदी के लिए अन्जाम दिये जाते थे । आला हज़रत एक जगह लिखते हैं-------------------

بھائیو! ما اسئلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین -

तर्जमा :- "भाईयों मै तुम से कोई अज्र नही मॉगता मेरा अज्र तो सारे जहॉ के परवरदिगार के पास हैं" ।

आला हज़रत के फ़तावे अरबी, फ़ारसी, उर्दू, और दिगर ज़बानों में है । आला हज़रत के फ़तवे दुनिया-ए-इस्लाम में क़द्र की निगाह से देखे जाते है ।

हाफ़िज़े कुतुबुल हराम सैय्यद इस्माईल ख़लील मक्की رحمۃ اللہ علیہ जो के मक्का मुअज़्ज़मा के जलीलुल क़द्र आलिमे दीन व बुज़ुर्ग थे उनकी ख़्वाहिश पर आला हज़रत ने अपने चन्द अ़रबी फ़तवे रवाना फ़रमाए जिसे देख कर वोह हैरान रह गए, और जवाबन लिखा-----------------------

واللہ اقول والحق اقول لو رآھا (امام اعظم) ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ لأقرت عینہ ولجعل مؤلفھا (امام احمد رضا) من جملۃ الاصحاب :-

तर्जमा :- "और क़सम खा कर कहता हूँ और सच कहता हूँ इन फ़तवों को अगर इमामे आज़म अबू हनीफ़ा رضی اللہ عنہ देख लेते तो यक़ीनन उन की आखों को ठन्ड़क पहुँचती और वोह इसके लिखने वाले *(इमाम अहमद रज़ा)* को अपने शगिर्दों में शामिल कर लेते" ।

फ़ाज़िले जलील हज़रत सैय्यद इस्माईल ख़लील मक्की رحمۃ اللہ علیہ के इन अज़ीम जुमलों की सच्चाई देखना हो तो "फ़तावे रज़विया" का मुतालअ़ कर लीजिये जो आला हज़रत की अ़ज़ीम तसनिफ़ है और 12 जिल्दों में और हर जिल्द तक़रीबन बड़े साइज़ में कम व बेश 1000 सफ़ों पर फैली हुई हैं । इस के अलावा आला हज़रत के फ़तवों की और कई मशहूर किताबें है जैसे "अहकामे शरीअ़त" *(तीन जिल्दें)* "फ़तावे अफ़रीक़ा" "ईरफ़ाने शरीअ़त" *(तीन जिल्दें)* और 1300 के क़रीब किताबें अलग है ।

ज़ेरे नज़र किताब "ईरफ़ाने शरीअ़त" हज़रत मौलाना ईरफ़ान अ़ली क़ादरी रज़वी साहब رحمۃ اللہ علیہ ने तरतीब दी थी । इस किताब के मुतअ़ल्लिक ख़ूद फ़रमाते है--

"यह हक़ीर फ़क़ीर उन फ़तवों को जो बारगाहे रज़वी से मुख़्तलीफ़ वक़्तों में हासिल करता, जमा करता गया और अहले सुन्नत की ख़ैर ख़्वाही की ग़र्ज़ से उनको शाए करता है" ।

"ईरफ़ाने शरीअ़त" तीम हिस्सों में हैं जिसका पहले हिस्से का हिन्दी तर्जमा आप के हाथों में हैं और इन्शाह अल्लाह इस के दूसरे और तीसरे हिस्से भी जल्द ही हिन्दी में मन्ज़रे आम आऐंगे ।

मौला عزوجل हम सब को तौफ़िक़े अ़मल बख़्शे ।---! आमीन !

नाचीज़ सगे रज़ा

मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ॉ अशरफ़ी रज़वी

بسم الله الرحمن الرحيم

मस्अला 1— शौहर अपनी बीवी को ग़ुस्ले मैय्यत दे सकता है या नहीं और मरने के बाद शौहर अपनी बीवी के जनाज़े को हाथ लगा सकता है या नही ?

जवाब : जनाज़े को हाथ लगा सकता है, क़ब्र में उतार सकता है उस के बदन को हाथ नहीं लगा सकता, इसी वासते ग़ुस्ल नही दे सकता । والله اعلم

मस्अला 2— मैय्यत के सुवम के चानों का किस क़द्र वज़न होना चाहिये अगर खजूरों पर फ़ातिहा दिला दी जाए तो उनका वज़न किस क़द्र हो ?

जवाब : शरीअ़त में कोई वज़न मुक़र्रर नही, इतने हो जिस में सत्तर हज़ार अद्द पूरे हो जाए । والله اعلم

मस्अला 3— अगर एक औरत को तलाक़ दी जाए तो वोह औरत तलाक़ देने से कितनी मुद्दत बाद निकाह कर सकती है ?

जवाब : तलाक़ के बाद तीन हैज़ (माहवारी) शुरू हो कर ख़त्म हो जाऐं और हैज़ वाली न हो तो तीन महीने और हमला (पेट वाली) हो तो जब बच्चा पैदा हो जाए, अगरचे साल भर बाद या तलाक़ से एक ही मिनट बाद ।

मस्अला 4— तहबन्द (लुंगी) का पेच खोल कर नमाज़ क्यों पढ़ते है ?

जवाब : रसूलुल्लाह صلى الله تعالى عليه وآله واصحابه وسلم ने नमाज़ में कपड़े समेटने और घोरेसने से मना फ़रमाया है ।

मस्अला 5— अगर तहबन्द (लुंगी) के नींचे लंगोठ बन्धा हो तो नमाज़ पढ़ना दुरूस्त होंगी या नहीं ?

जवाब : दुरूस्त है ।

मस्अला 6— बिजली क्या शए (चीज़) है ?

जवाब : अल्लाह तआ़ला ने बादलों के चलाने पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फ़रमाया है जिस का नाम "रअ़द" है उस का क़द बहुत छोटा है और उसके हाथ में बहुत बड़ा कोड़ा (चाबुक) है जब वोह कोड़ा बादल को मारता है उस की मार से आग झड़ती है उस आग का नाम बिजली है ।

मस्अला 7– अगर मुक्तदी ईमामा बान्धे हों और इमाम के सर पर ईमामा न हो तो नमाज़ दुरूस्त होगी या नहीं ?

जवाब : नमाज़ बग़ैर किसी वजह के दुरूस्त होगी ।

मस्अला 8– एक शख़्स तन्हा नमाज़ पढ़ता है अगर उस को सहू (ग़लती) हो जाए तो सज्द-ए-सहू एक ही तरफ़ सलाम फेरने से दुरूस्त होगा या दोनों तरफ़ ?

जवाब : एक ही तरफ़ फेरे ।

मस्अला 9– क़ाज़ी को निकाह पढ़ाने का रूपया लेना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : मर्ज़ी से घर के लोगों से बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती ख़ुशी से पहले से मुक़र्रर कर के ले सकता है ।

मस्अला 10– कुफ़्फ़ार (काफ़िरों) से सूद और रिशवत लेना मुसलमान को जाइज़ है या नहीं और हिन्दुस्तान दारूल हरब है या दारूल इस्लाम ?

जवाब : सूद और रिशवत मुतलक़न (बिल्कुल ही) हराम है, हिन्दुस्तान दारूल हरब नहीं दारूल इस्लाम है ।

मस्अला 11– काफ़िर के साथ मुसलमानों को खाना, खाना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : मुमानियत है (मना है) ।

मस्अला 12– हिन्दू के यहाँ की (ख़रीदी हुई) शीरनी पर फ़ातिहा देना जाइज़ है या नहीं और उस के घर का खाना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब : बेहतर है के फ़ातिहा के लिए शीरनी मुसलमान के यहाँ की हो और हिन्दू के यहाँ का गोश्त हराम है, बाक़ी खानों मे हर्ज नहीं अगर कोई मना की हुई शरई वजह न हो ।

मस्अला 13– शरअन (शरीअत के मुताबिक़) लड़का और लड़की कितनी उम्र में बालिग़ होते है ?

जवाब : लड़का कम से कम बारह (12) बरस में और लड़की नव (9)

बरस में और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पन्दरह (15) बरस में ।

मस्अला 14– अगर हालतें जनाबत (सोहबत के बाद की ना पाक हालत) में औरत मर जाए तो एक ही गुस्ल काफ़ी होगा या दो ?

ज़वाब : एक ही गुस्ल काफ़ी है अगरचे तीन ग़ुस्ल जमा हो जाऐं मसलन औरत को हैज़ आया, अभी न नाहाई थी के सोहबत किया । अभी गस्ल न करने पाई के मर गई । एक ही गुस्ल दिया जाएगा ।

मस्अला 15– औलिया में सब से ज़्यादा किस का मरतबा है ?

जवाब : हज़रत सिद्दीके अकबर رضی اللہ تعالیٰ عنہ का ।

मस्अला 16– मोजे़ पहंनने से जो टखने बन्द हो जाते है उस से नमाज़ में तो कोई ख़राबी नही आती ?

जवाब : नमाज़ में उस से हरगिज़ कोई हर्ज या कराहत (ख़राबी) नहीं ।

मस्अला 17– बेद की लकड़ी हाथ में रखना चाहिये या नही ?

जवाब : खूद उसमें हर्ज नही मगर पत्ला बेद टेड़े सर का हिस्सा लम्बा बाऐं हाथ में ले कर हिलाते हुए चलना शैतनों का तरीक़ा है ।

मस्अला 18– अहले बैत में कौन कौन है ।

जवाब : हज़रत बतुलुज्ज़हरा (हज़रत फ़ातेमा) की औलादे अहले बैत है फिर हज़रत अली व हज़रत अक़ील व हज़रत अब्बास رضی اللہ تعالیٰ عنہما की औलादे अहले बैत है । अज़्वाजे मुतहरात (हुजूर صلی اللہ علیہ وسلم की पाक बीवियां) अहले बैत है ।

मस्अला 19– हज़रत फ़ातेमा رضی اللہ تعالیٰ عنہا की फ़ातिहा का खाना मर्दो को खाना चाहिये या नही ?

जवाब : चाहिये कोई मुमानियत नही (यानी मना नहीं खा सकते है) ।

मस्अला 20– औलिया-ए-किराम की मज़ार पर चादर चढ़ाना जाइज़ है या नही

जवाब : जाइज़ है ।

मस्अला 21– खाने के साथ पानी रखना फ़ातिहा के वास्ते दुरूस्त है या नही ?

जवाब : दुरूस्त है ।

मस्अला 22– दाढ़ी में ठाटा बान्ध कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नही

जवाब : मना है के रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ने नमाज़ में बालों के रोकने से मना फ़रमाया है ।

मस्अला 23– ज़रूरत मे हराम चीज़ इस्तेमाल मे लाना जाइज़ है या नही

जवाब : अगर भूक या प्यास से मरता हो और कोई हलाल शए (चीज़) पास नही और जाने के अगर उस वक्त कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ऐसी सूरत में हराम चीज़ खाना पीना और इस क़द्र जिस से उस वक्त जान बच जाए जाइज़ है । यूँही अगर सर्दी बहुत सख़्त है और पहन्ने को हराम कपड़े के सिवा कुछ नहीं और न पहने तो मर जाएगा या नुक़सान पाएगा तो इतनी देर को पहन लेना चाहिये ।

मस्अला 24– हिन्दू फ़कीर अल्लाह की मन्ज़ील तक पहुँचते है या नही

जवाब : हिन्दू हो या कोई काफ़िर वोह अल्लाह तआला के ग़ज़ब व लअ़नत तक पहुँचते है जो येह गुमान करे के काफ़िर बग़ैर इस्लाम लाए अल्लाह तक पहुँच सकता वोह ख़ुद काफ़िर है ।

मस्अला 25– वुज़ू के पानी से इस्तिन्जा करना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब : दुरूस्त है । बेहतर नही ।

मस्अला 26– दुनियावी शए (चीज़) को दीनी शए से निस्बत देना जाइज़ है या नही मसलन कोई यूँ कहे के फलाँ औरत हूर की तरह है ?

जवाब : इस तरह की मिसाल में हर्ज नहीं हाँ जहाँ दीनी शए की बे हुर्मती हो वोह ना जाइज़ है बल्कि कभी कुफ़्र तक पहुँचेगी ।

मस्अला 27– रबीउल अव्वल के महीने मे अगर औरतें मिस्सी, सुर्मा लगाऐं या रंग कर कपड़ा पहने (यानी रंगीन कपड़े पहने) तो कुछ हर्ज होगा या नही

जवाब : कोई हर्ज नहीं बल्कि अगर सोग (ग़म) की नियत से छोड़े तो हराम है इसी तरह मोहर्रम शरीफ़ में (यानी सोग की नियत से सुर्मा न लगाऐं या

रंगीन कपड़े न पहने तो हराम है) ।

मस्अला 28– अगर बीवी का मज़हब शौहर के ख़िलाफ़ हो तो औलाद हराम होगी या हलाल ?

जवाब : अगर उन मे से किसी एक की बद मज़हबी कुफ़्र की हद तक पहुँची हो तो औलाद हरामी होंगी वरना (और ऐसा न हो तो) हलाल पैदा हुई (कहलाएगी) ।

मस्अला 29– शराब पीना ख़ुदा के रास्ते (पर चलने से) रोकता है या नही ?

जवाब : बेशक ज़रूर रोकता है, और उसके पीने वाले पर अल्लाह तआला लअ़नत करता है ।

मस्अला 30– कमर में पटका (Belt) बान्ध कर नमाज़ पढ़ना दुरूस्त है या नही ?

जवाब : दुरूस्त है मगर दामन इस के नीचे न दब जाए ।

मस्अला 31– दाढ़ी को वसमा (नील, या काले रंग का ख़ेज़ाब) या मेहन्दी लगाना चाहिये या नहीं ?

जवाब : वसमा लगाना हराम है, मेहन्दी जाइज़ बल्कि सुन्नत है [1]।

मस्अला 32– नमाज़े फ़ज्र के बाद और तुलू आफ़ताब होने (सूरज निकलने) से पहले कुरआन शरीफ़ की तिलावत करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : बेशक जाइज़ है बल्कि वोह बहुत बेहतर वक़्त है जब तक आफ़ताब तुलू न करे ।

मस्अला 33– अहले सुन्नत व जमाअ़त कुरआन शरीफ में "ज़ाद" को "दवाद" क्यो पढ़ते है और राफ़्ज़ी (शिया) लोग "दवाद" क्यों नही पढ़ते ?.

जवाब : "ज़ाद" "दवाद" दोनों गलत है, मख़रज (सही आवाज़ व तलफ़्फ़ुज़

1- आज कल कुछ लोग ऐसी मेहन्दी लगाते है जिसे लगाने के बाद बाल काले हो जाते है, ऐसी मेहन्दी लगाना भी हराम है, मेहन्दी वही लगाई जा सकती है जिससे बाल पीले या लाल हो । इस मुतअल्लिक ज़्यादा तफ़्सील से जानने के लिए आला हज़रत की किताब حك العيب في حرمة تسويد الشيب पढ़ीये जिस का हिन्दी तर्जमा "[illegible] [illegible] अज़ाब" के नाम से मन्ज़रे आम पर आ चुका है ।

से पढ़ने का तरीक़ा) सिखना और उसका इस्तेमाल करना फ़र्ज़ है, राफ़ज़ीयों से जब न निकल सका उन्हों ने क़ुरआन मजीद के हुर्फ़ को जान बुझ कर बदल दिया येह कुफ़्र है ।

मस्अला 34– तलाक़ कितनी मरतबा देने से औरत निकाह से बाहर हो सकती है ?

जवाब : तीन मरतबा तलाक़ हो जाए तो औरत निकाह से ऐसी बाहर हो जाए के बग़ैर हलाला फिर इस से निकाह नहीं कर सकता और तीन मरतबा से कम के लिए कुछ अलफ़ाज़ मुक़र्रर है के उन से निकाह जाता रहता है मगर बग़ैर हलाला निकाह फिर कर सकता है और अभी औरत से ख़िलवत (तन्हाई मे मिलने) की नौबत नहीं पहुँची हो तो किसी लफ़्ज़ से एक ही तलाक़ देने से औरत निकाह से बाहर हो जाती है दोबारा निकाह कर सकता है ।

मस्अला 35– अगर औरत बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के किसी ग़ैर के घर चली जाए तो उसका निकाह दुरूस्त रहेगा या नहीं ?

जवाब : दुरूस्त रहेगा हाँ औरत गुनाहगार होगी ।

मस्अला 36– अगर जनाबत (सोहबत के बाद की ना पाकी) की हालत में ग़लती से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ ले और नमाज़ पढ़ने के बाद उसको याद हुआ के मै ना पाक था तो अब वोह नमाज़ गुस्ल के बाद दोहराए या नहीं ?

जवाब : ज़रूर नहा कर पढ़े ।

मस्अला 37– मर्द को शौकिया या ज़रूरत से सोने चान्दी की अंगूठी पहन्ना चाहिये या नहीं ?

जवाब : सोने की अंगूठी मर्द को बिल्कुल हराम है यूँही चान्दी का छल्ला, यूँही चान्दी की दो या ज़्यादा अंगूठियाँ, यूँही एक अंगूठी (अगरचे चान्दी की हो) जिस में कई नग हो, (हराम है) सिर्फ़ एक नग की चान्दी की अंगूठी जो साड़े चार माशे से कम की हो शौकिया या मोहर (Stemp) वग़ैरा की ज़रूरत से मर्द को जाइज़ है ।

मस्अला 38– एक शख़्स नमाज़ पढ़ता है अगर उसके सामने से दूसरा शख़्स निकल जाए तो वोह शख़्स कितने फ़ासले पर निकल जाने से गुनाहगार न होगा ?

जवाब : मकान या छोटी मस्जिद में क़िबले की दीवार तक बग़ैर आड़ के निकलना हराम है और जंगल या बड़ी मस्जिद में तीन गज़ (तकरीबन 9 फ़ीट) के फ़ासले के बाद निकलना जाइज़ है 47, 48, गज़ पैमाईश की जो मस्जिद हो वोह बड़ी मस्जिद है ।

मस्अला 39- अगर बिल्ली या कुत्ता वग़ैरा आदमी की चीज़ों का नुक़सान करते हो या काट खाते हो तो उनका मार डालना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब : काटते हो तो क़त्ल दुरूस्त है ।

मस्अला 40- हज़रत फ़ातेमा رضی اللہ عنہا की फ़ातिहा ढ़क कर देना चाहिये या खोल कर ?

जवाब : दोनों तरह दुरूस्त है ।

मस्अला 41- हिन्दू क़साब के हाथ का गोश्त खाना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : हराम है मगर उस सूरत में के मुसलमान ने ज़ब्ह किया और मुसलमान की निगाह से गाएब होने से पहले उस मुसलमान या दूसरे (मुसलमान) ने उससे ले लिया तो जाइज़ है ।

मस्अला 42- नमाज़ में सुन्नत तर्क करने (छोड़ने) से सज्दा-ए-सहू होगा या नहीं ?

जवाब : सज्द-ए-सहू सिर्फ़ वाजिब के छोड़ने से है सुन्नत से नहीं, हॉ नमाज़ मकरूह होगी और फेरना बेहतर और बग़ैर किसी शरई मजबूरी के सुन्नत छोड़ने की आदत करेगा तो गुनाहगार होगा ।

मस्अला 43- उन पॉच रोज़ों में जो रोज़ा रखना मना है यनी एक ख़ास ईदुल फ़ित्र (रमज़ान ईद) और चार रोज़ ईदुज़्ज़ोह (बकरा ईद) के तो इस की क्या वजह है ?

जवाब : येह दिन अल्लाह عزوجل की तरफ़ से बन्दों की दावत के है ।

मस्अला 44- इस में क्या हिकमत है के फ़र्ज़ों में दो रकअ़त ख़ाली (अलहम्द के बाद बग़ैर किसी सूरा मिलाए) और दो रकअ़त भरी (यानी अलहम्द के बाद कोई एक सूरे के साथ) पढ़ी जाती है और सुन्नत और नफ़िल में चारो भरी (बाद

अलहम्द के बाद सूरे मिला कर) ?

जवाब : नमाज़ में सिर्फ़ दो ही रकअतों में तिलावत कुरआन मजीद ज़रूरी है सुन्नत व नफ़िल की हर दो रकअत अलग है लिहाज़ा हर दो रकअत में किर्अत ज़रूरी हो कर चारों भरी हो गई ।

मस्अला 45– हुक्का पीना, अफ़यून खाना या कोई दूसरी नशे वाली चीज़ खाना जाइज़ है या नही ?

जवाब : अफ़यून वगै़रा कोई नशे की चीज़ खाना पीना बल्किुल हराम है, हुक्का के दम लगाना जिस से होश जाता रहे जैसा के आज कल कुछ जाहिल रमज़ान शरीफ़ में करते है हराम है बगै़र इस के हुक्का पीना मुबाह (जाइज़) है, हॉ धुवॉ बदबूदार हो तो बेहतर नहीं है ।

मस्अला 46– मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना चाहिये या नहीं ?

जवाब : बदबू की वजह से हराम है अगर ऐसी तरकीब करें के उसमें बदबू हरगिज़ न रहे तो जाइज़ है ।

मस्अला 47– किसी चीज़ की मूरत (तस्वीर) अगर जेब में रखे तो नमाज़ दुरूस्त होगी या नहीं

जवाब : नमाज़ दुरूस्त होगी मगर येह काम मकरूह व ना पसंदिदह है जब के कोई ज़रूरत न हो (जैसा कि) रूपया, अशरफ़ी में ज़रूत है ।

मस्अला 48– औरत के हाथ का ज़बिहा (ज़ब्ह किया हुआ जानवर) जाइज़ है या नही ?

जवाब : मुसलमान औरत के हाथ का ज़बिहा (ज़ब्ह किया गया जानवर) जाइज़ है जबकि वोह ज़ब्ह करना जानती हो और ठीक से ज़ब्ह करे ।

मस्अला 49– वहाबी (नमाज़ में) अलहम्द शरीफ़ के बाद आमीन ज़ोर से क्यों पढ़ते है ?

जवाब : उन का मक़सद सिर्फ मुसलमानों की मुख़लेफ़त ज़ाहिर कर के अपना एक गिरोह अलग कायम करना है ।

मस्अला 50– छुरी, चाकू के अलावा किसी दूसरे औज़ार से ज़ब्ह

करना जाइज़ है या नही ?

जवाब : जाइज़ है जब कि वोह धारदार तेज़ हो और जानवर को ज़्यादा तक्लीफ़ न पहुँचे ।

मस्अला 51– ज़ैद ने कुछ रूपये क़र्ज़ तिजारत (व्यपार) वासते उम्र को दिये और आपस में येह ठहरा लिया कि क़र्ज़ के रूपयों के अलावा जिस क़द्र मुनाफ़ा तिजारत में हो उस में से आधा हमारा और आधा तुम्हारा, तो येह सूद हुआ या नहीं ?

जवाब : येह सूद हुआ और यक़ीनन हराम है अगर रूपये उसे क़र्ज़ न दे बल्कि तिजारत के वास्ते दे के रूपया मेरा और मेहनत तेरी और मुनाफ़ा आधा, आधा तो येह ज़ाइज़ है ।

मस्अला 52– अक़ीके और क़ुर्बानी (के जानवार) की हड्डी टोडना चाहिये या नहीं ?

जवाब : कोई हर्ज नहीं और अक़ीके में न टोड़े तो ज़्यादा अच्छा है ।

मस्अला 53– जिस शख़्स ने सुबह की नमाज़ न पढ़ी हो तो उसकी जुम्अ और ईद की नमाज़ अदा होगी या नहीं ?

जवाब : ईद की तो हो जाएगी और जुम्अ की भी अगर तरतीब से न पढ़ने वाला हो यानी उस के ज़िम्मे पाँच नमाज़ों से ज़्यादा क़ज़ा जमा हो गई हो अगरचे अदा करते करते अब कम बाक़ी हो, अगर तरतीब से पढ़ने वाला है तो जब तक सुबह की नमाज़ न पढ़े जुम्अ न होगा । अगर सुबह की नमाज़ उसे याद है और वक़्त इतना तंग न हो गाया हो के सुबह की पढ़े तो ज़ोहर का वक़्त ही निकल जाए और येह जुम्अ में उम्मीद नहीं ।

मस्अला 54– औरत को फ़ातिहा देना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जाइज़ है ।

मस्अला 55– लड़के के अक़ीके का गोश्त लड़के के वालिदैन (माँ, बाप) और दादा, दादी और नाना, नानी को खाना चाहिये या नहीं ?

जवाब : सब को (खाना) दुरूस्त है, यही सही है ।

मस्अला 56— शादी में दफ़ या नवबत (बड़ा ढ़ोल) बजवाना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब : दफ़ की इजाज़त है जब के उस में झान्झ न हो और मर्द या ईज़्ज़त दार औरतें न बजाए न खेल कुद (या मौज मस्ती) के तौर पर बजाए बल्कि निकाह के ऐलान की नियत हो ।

मस्अला 57— अगर औरतें मर्दो को सलाम करें तो किस तरह करें ?

जवाब : अपने महारम (जिन से पर्दा करना शरीअत में ज़रूरी नही) उन्हें और शौहरों को सलाम करें "अस्सलम अलैकुम" कहें ।

मस्अला 58— अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में क़सम क्यों याद फ़रमाई

जवाब : कुरआने अज़ीम अरब के महावरों पर उतरा है, अरबों की आदत थी के जिस काम का करना मन्जूर होता उसे क़सम खा कर करते जैसा के कुफ़्फ़ारे मक्का को हुजूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلى الله تعالى عليه وسلم के सच्चे होने पर पूरा यक़ीन था आप की पैदाईश से पहले हुजूर का नाम ही सादिक (सच्चा) अमीन (अमानत दार) कहा करते और ऐसा सच्चा यक़ीन के जिस बात को क़सम खा कर ज़िक्र फ़रमाए, ख़र्मो खवाँ इस पर एतेबार आएगा तो उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए क़सम ज़िक्र फ़रमाई गई ।

मस्अला 59— काफ़िर को सलाम करना चाहिये या नहीं ?

जवाब : हराम है ।

मस्अला 60— ईदुज़्ज़ोह (बकरा ईद) के रोज़ अक़ीक़ा जाइज़ है या नही ?

जवाब : जाइज़ है ।

मस्अला 61— अगर इमाम नमाज़ पढ़ाता हो और वोह किसी सूरत में दरमियान में दो एक अलफ़ाज़ छोड़ कर आगे को पढ़े तो नमाज़ होगी या नही ?

जवाब : अगर उन के छुटने से मअ़नी न बिगड़े तो नमाज़ हो गई वरना नहीं ।

मस्अला 62— मच्छली और टिड्डी (एक किस्म का पर वाला किड़ा) ज़ब्ह क्यों नही की जाती ?

जवाब : ज़ब्ह करने से खून निकालना मकसद होता है और मच्छली व टिड्डी मे (बहता हुआ) खून नहीं ।

मस्अला 63— मर्द मैय्यत के कब्र के तख़ते किस तरफ़ से रखना चाहिये ?

जवाब : सर की तरफ़ से मुनासिब है ।

मस्अला 64— क्या कुरआन शरीफ़ मे दाढ़ी रखने या न रखने का हुक्म है, अगर है तो किस जगह है अगर नहीं है तो हदीस शरीफ़ मे किस जगह से सुबूत लिया गया है ?

जवाब : रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है... احفوا الشوارب واعفوا اللحی خالفوا... मूछे बारीक करो और दाढ़ियाँ बड़ाओ आतिश परस्तो (आग को पूजने वालो) के ख़िलाफ़ करो । फ़कीर ने अपने रिसाले (किताब) لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ मे पॉच आयतो और चालीस से ज़्यादा हदीसो से दाढ़ी रखने का सुबूत दिया है ।

मस्अला 65— नमाज़ी लोग मस्जिदों के दूरों (मस्जिद के बीच मे मिम्बर की सीध में) और इमाम साहब के बराबर खड़े हो जाते है क्या उन की नमाज़ होती है या नहीं अगर नही होती है तो नमाज़ दोहराना चाहिये या नहीं ?

जवाब : मुक्तदियों को दूरों (मस्जिद के बीच मे मिम्बर की सीध) में खड़े होना मना है, मगर नमाज़ हो जाएगी गुनाहगार होंगे, इमाम के बराबर दो मुक्तदी खड़े हो जाएँ तो नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है यानी बेहतर नही और दो से ज़्यादा बराबर खड़े हो जाएँ तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी, उस का फेरना वाजिब है । और इस की तफ़्सील हमारे फ़तवे मे है ।

मस्अला 66— कुर्बानी सेहतमन्द बैल, भैस की जाइज़ है या नही, ज़ैद कहता है हमारे शहर या गावँ या कस्बे मे बैल की कुर्बानी नही की जाती है और जो नही की जाती वोह मकरूह के बराबर है ऐसे शख़्स के कहने मे कुछ ईमान मे तो नुकसान नही अगर भैसे की दो बरस या उस से ज़्यादा उम्र के जानवार की कुर्बानी की जाए (और) महल्ले वाले उस को बुरा समझ कर न लें तो गुनाहगार होंगे या नहीं ? शहर बरेली मे बैल की कुर्बानी होती है या नहीं उम्र (एक शख़्स) कहता है के मै अस्सी बरस से देखता हूं के बरेली मे बैल की कुर्बानी नही होती उस का कहना ग़लत है या सही ?

जवाब : बैल, भैसा की कुर्बानी बेशक जाइज़ है उसमें हरगिज़ कोई ना पसंदिगी नही, ज़ैद का कहना ग़लत है, मगर उसके कहने से ईमान में कुछ फ़र्क नही आता, आलमगीरी में है يكون من الاجناس الثلثة الغنم والابل البقر ويدخل فى كل جنس نوعه والذكر والانثى منه والجاموس نوع من البقر ،
महल्ले वाले अगर भैसे का गोश्त के सख़्त होता है पसंद न करें इस वजह से न लिया तो बुरा किया के मुसलमान की दिल शिक्नी की, और रसूलुल्लाह صلى الله تعالى عليه وسلم फ़रमाते है لا تحقرن معروفا और अगर इस ख़्याल से लिया के वोह भैसे की कुर्बानी ना जाइज़ जानते है तो सख़्त जहातल में है उन्हें शरीअ़त का हुक्म बताया जाए । बैल की कुर्बानी लोग इस ख़्याल से नहीं करते के वोह गाये से ज़्यादा क़ीमती होता हैं और गाये का गोश्त भी बैल से बेहतर होता है इसी वासते शरीअ़त में भी गाये की कुर्बानी बैल से अफ़ज़ल है जबकि क़ीमत में बराबर हो, "अलमगीरी" में है-- الانثى من البقر افضل من الذكر اذا استويا لان لحم الانثى اطيب كذا فى فتاوى قاضى خان —

मस्अला 67— तअज़ीया बनाना सुन्नत है जिस का येह अक़ीदह हो या कुरआन शरीफ़ की किसी आयत या हदीस से सुबूत पकड़े, ऐसा शख़्स ओलमा-ए-अहले सुन्नत व जमाअ़त के नज़दीक इस्लाम से ख़ारिज तो न समझा जाएगा ? उसे काफ़िर समझना जाइज़ है या नही और येह (तअ़ज़ीया) कैसे शुरू हुआ, अगर (तअ़ज़ीया) सामने आ जाए तो नफ़रत या तअ़ज़ीम से देखना चाहिये या नही

जवाब : वोह जाहिल, ख़तावार मुजरिम है मगर काफ़िर न कहेंगे । तअ़ज़ीया आता देख कर हट जाए उसकी जानिब देखना ही नहीं चाहिये । सुना जाता है के तअ़ज़ीये की इब्तेदा (शुरूआत) अमीर तैमूर बादशाह दहली के वक़्त से हुई ।

मस्अला 68— हज़रत सकीना बिन्त इमाम हुसैन رضى الله تعالى عنه का निकाह मुसैब बिन ज़ुबैर और उन के बाद किस किस के साथ हुआ ?

जवाब : बहुत निकाह हुए जिन की तफ़्सील "नूरूल अबसार" वगै़रा किताबों में है ।

मस्अला 69— क्या मस्नवी शरीफ़ में कोई शेर ऐसा है जिस से मालूम हो के तीन दिन तक हुज़ूर सरवरे काएनात صلى الله عليه وسلم की लाश बग़ैर

तजहिज़ व तक्फ़ीन (कफ़न, दफ़न) के रखी रही, जिस का येह अक़ीदह हो उस को काफ़िर समझे या मुसलमान ?

जवाब : येह महेज़ झूट है मस्नवी शरीफ़ में ऐसा कोई शेर नही येह ना पाक ख़्याल राफ़ज़ियों (शिआयों) का है ऐसा शख़्स बे दीन है मगर काफ़िर न कहेंगे हाँ हुज़ूरे अक़दस ﷺ की तौहीन शाने करीम के लिए ऐसा बकता है तो काफ़िर मुरतद (दीने इस्लाम से निकला हुआ) है ।

मस्अला 70– मोहर्रम शरीफ़ में मरसिया ख़्वानी में शिरकत जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : ना जाइज़ है के वोह ख़िलाफ़े शरीअत व झुटी बातों से भरे होते है

मस्अला 71– मुसलमानों को खुदा का दीदार नसीब होगा या नही जिस का येह एतेक़ाद (अकीदह) हो उस को क्या कहें ?

जवाब : अहले सुन्नत का एतेक़ाद है के बेशक अल्लाह सुबहानहु तआला मुसलमानों को अपना दीदारे करीम आख़िरत में नसीब फ़रमाएगा इस का इन्कार करने वाला गुमराह बद दीन है ।

मस्अला 72– ज़ैद मुक़्तदी है, बक्र इमाम, मगरिब की नमाज़ हो रही है दरमियानी क़्एदे में बक्र ने अत्तहीयात पढ़ कर अल्लाहो अकबर कहा और खड़ा हो गया मगर ज़ैद ने अभी पूरी अत्तहीयात नही पढ़ी है अब ज़ैद को अत्तहीयात पूरी कर के खड़ा होना चाहिये, दूसरी सूरत में अगर ज़ैद अत्तहीयात पूरी कर के खडा हुआ तो इमाम की इत्तिबा (पैरवी) से बाहर हुआ या नही, और उस पर कुछ इलज़ाम है या नही और उस की नमाज़ हुई या नही ?

जवाब : इस मस्अले में ज़ैद पर वाजिब है के अत्तहीयात पूरी ही कर के उठे उसी में इमाम का इत्तिबा (पैरवी) है अगर उसके ख़िलाफ़ करेगा और बग़ैर अत्तहियात पूरी किये इमाम के साथ खडा हो जाएगा तो इमाम की इत्तिबा से बाहर होगा और गुनाहगार होगा और नमाज़ अधूरी होगी इमाम ने तो अत्तहीयात पूरी पढ़ी और येह कम पढ़े तो इत्तिबा कहाँ हुआ, क़ियाम उसमे इत्तिबा हो जाएँगा अगरचे देर से हो के इत्तिबा में येह भी दाख़िल है के इमाम के फ़ेल (अरकान) के बाद उस का फ़ेल हो यहाँ तक के अगर कोई शख़्स

अत्तहीयात मे आ कर शरीक हुआ.और येह बैठा ही था के इमाम खड़ा हो गया तो उसे वाजिब है के पूरी अत्तहीयात पढ़ कर खड़ा हो अगरचे इमाम इतनी देर मे तीसरी रक्अ़त का क़ियाम ख़त्म कर के रूकू मे चला जाए येह अत्तहीयात पूरी करके खड़ा हो और एक बार तस्बीह पढ़ने को जितनी देर लगती है उतनी देर कर के रूकू सुजूद मे सलाम तक कही जा मिले और फ़र्ज़ कीजिये कहीं न मिल सके तो हर्ज नही इमाम के फ़ेल के बाद उसका हर फ़ेल होता रहे ।

मस्अला 73- ज़ैद सुबह को ऐसे तंग वक्त में सो कर उठा के सिर्फ वुज़ू करके नमाज़े फ़ज्र अदा कर सकता है मगर उस को गुस्ल की हाजत है अब गुस्ल कर के फ़ज्र अदा करना चाहिये या वक्त ख़त्म हो जाने के ख़्याल से गुस्ल का तय्यमुम कर के और वुज़ू कर के नमाज़े फ़ज्र अदा करे और फिर उस के बाद गुस्ल कर के नमाज़े फ़ज्र फिर से पढ़े ?

जवाब : तय्यमुम कर के नमाज़ वक्त में (घर पर ही) पढ़ ले फिर बाद में नहा कर उसी नमाज़ को दो बारा पढ़े ।

मस्अला 74- कम्री महीने (चान्द के महीने) कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात में होते है और हिन्दी महीने क्यों हमेशा एक ही मौसम में होते है ?

जवाब : मौसामों की तबदीली अल्लाह ख़ालिक़ عَزَّوَجَلَّ ने सूरज के घुमने पर रखी है--------सूरज का एक दौरा तकरीबन 365 दिन और पौने छे घनटे में के पाचें दिन के करीब हुआ पूरा होता है और अ़रबी शरई महीने चांद से है के हेलाल (चांद रात) से शुरू और 30 या 29 दिन में ख़त्म होते है और येह बारह महीने यानी चांद के साल 354 या 355 का होता है तो सूरज के साल से दस या गयारा दिन छोटा है समझने के लिए इसे छोड़ कर सुरज के साल 365 और चांद के साल 355 ही रखिये तो दस दिन का फ़र्क हुआ अब फ़र्ज़ कीजिये के किसी साल पहली रमज़ान शरीफ़ 1 जनवारी को हुई तो आने वाले साल 22 दिसम्बर को 1 रमज़ान होगी के चांद के बारह महीने 355 दिन में ख़त्म हो जाऐंगे और सुरज के साल पूरा होने को अभी दस दिन और बाक़ी है फिर तीसरे साल 1 रमज़ान, 12 दिसम्बर को होगी, चौथे साल 1 दिसम्बर को होगी तीन बरस में एक महीना बदलेगा और रमज़ानुल मुबारक हर सूरज के महीने में दौरा फ़रमाएगा ।

बिल्कुल यही हालत हिन्दी महीनों की होती है अगर वांह लवन्द (यानी ऐसा महीना जो तीसरे साल सूरज के महीनों के हिसाब से बड़ाया जाए) न लेते । उन्हों ने साल रखा सूरज से और महीने लिए चांद के तो हर बरस दस दिन घट घट कर तीन बरस बाद एक महीना घट गया लिहाजा हर तीन साल पर वांह एक महीना बड़ा कर लेते है ताकि सूरज के साल से बराबरी हो जाए वरना कभी जेठ जाडों मे आता और पूस गर्मीयों मे होता । बल्कि ईसाईयों ने साल व महीने सब सूरज के लिए अगर हर चौथे साल एक दिन बडा कर फरवरी 29 दिन का न करते उनको भी यही सूरत पेश आती के कभी जून का महीना जाडों में होता और दिसम्बर गर्मीयों मे यूँ के साल 365 दिन का लिया और सूरज का दौरा अभी चन्द घन्टे बाद पूरा होगा के जिस की मिकदार तकरीबन 12 घन्टे तो पहले साल सूरज के साल सूरज के दौरे से 6 घन्टे पहले ख़त्म हुआ दूसरे साल 12 घन्टे पहले तीसरे साल 18 घन्टे चौथे साल तकरीबन 24 घन्टे और 24 और घन्टे का एक दिन रात होता लिहाज़ा हर चौथे साल एक दिन बड़ दिया के सूरज की गरदिश से बराबरी रहे लेकिन सूरज का दौरा पूरे 6 घन्टे ज़्यादा न था बल्कि तकरीबन पौने छे घन्टे तो चौथे साल पूरे 24 घन्टे का फर्क न पड़ा बल्कि तकरीबन 23 घन्टे का और बड़ा लिया एक दिन के 24 घन्टे है तो यूँ हर चार साल में सूरज का साल सूरज के दौर से कुछ कम एक घन्टा बड़ेगा 100 बरस बाद तकरीबन एक दिन बड़ जाएगा लिहाज़ा सदी पर एक दिन घटा कर फिर फरवरी 28 दिन का कर लिया इसी तरह बहुत सा हिसाब है ।

मस्अला 75- औरतो को ज़ेवरात पहेन्ने का शरीअ़त के मुताबिक क्या हुक्म है ?

जवाब : औरतो को सोने चान्दी के ज़ेवर पहन्ना जाइज़ है । अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है--- اومن ينشؤ فى الحلية रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم फ़रमाते है---- الذهب والحرير حل لاناث امتى وحرام على ذكورها ،
"यानी सोना रेशम मेरी उम्मत की औरतो को हलाल और मर्दो पर हराम है" (रिवायत किया इसे अबू बकर इब्ने शीवा ने हज़रत जैद बिन अरकम से और तबरानी ने अपनी कबीर में) बल्कि औरत का अपने शौहर के लिए गहेना पहन्ना, बनाओ सिंगार करना, अज़ीम अज्र व सवाब का ज़रिया है और उनके हक़ में नफ़िल

नमाज़ से अफ़ज़ल है, बाज़ नेक औरतें के वोह ख़ूद और उनके शौहर दोनों औलिया-ए-किराम से थे हर रात बाद नमाज़े ईशा पूरा सिंगार कर के दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आती अगर उन्हें अपनी हाजत की तरफ़ पाती वही हाज़िर रहती वरना ज़ेवर व (वोह खूब सूरत) लिबास उतार कर मुसल्ले बिछाती और नमाज़ में मशगूल हो जाती । और दुल्हन को सजाना तो बहुत पुरानी सुन्नत है और बहुत सी हदीसों से साबित है बल्कि कँवारी लड़कियों को ज़ेवर व लिबास से सजाए रखना के उन की मंगनियाँ आएँ येह भी सुन्नत है (लेकिन इस का येह मतलब नही के सज धज कर सड़को, बाज़ारों, और सेनिमा घरों में लड़कियों को बे पर्दा खुले आम घूमने फिरने दिया जाए, येह शरीअत में जाइज़ नही । फ़ारूक़ ।) रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फ़रमाते है--- "لوكان اسامة جارية لكسوته وحليته حتى انفقه"

बल्कि औरत का हैसियत होने के बावजूद बग़ैर ज़ेवर के रहना मकरूह है के मर्दो की नक़्ल है । हदीस में है- كان رسول الله يكره تعطل النساء ويشبهن بالرجال

"मजमउल बिहार" में है -- قال اراد تعطل النساء بالام وهى من لاحلى عليها ولاخضاب واللام والراء يتعاقبان -

हदीस में है रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने मौला अली کرم اللہ وجہہ से फ़रमाया-- يا على مر نساءك لا تصلين عطلاء - "अए अली अपनी घर की औरतों को हुक्म दो के बे गहने नमाज़ न पढ़ें" اورده ابن اثير فى النهاية। उम्मुल मोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा رضی اللہ تعالیٰ عنہ औरत का बग़ैर ज़ेवर पहने नमाज़ पढ़ना मकरूह जानती और फ़रमाती---- "और कुछ न हो तो एक ड़ोरा ही गले में बान्ध ले" । "मजमउल बिहार" में है--- عن عائشة رضى الله عنها كرهت ان تصلى المرأة عطلاء ولوان تعلق فى عنقها خيطا" -

बजने वाला ज़ेवर औरत के लिए उस हालत में जाइज़ है के ना मेहरम (जिन से पर्दा करना शरीअत में ज़रूरी है) मसलन ख़ाला, मामू, चचा, फूफी, वग़ैरा के बेटों, जेठ, देवर, बहेनवाई के सामने न आती हो न उस के ज़ेवर की झनकार ना मेहरम तक पहुँचे । अल्लाह عزوجل फ़रमाता है---- ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية औरतें अपना सिंगार शौहर या मेहरम के सिवा किसी पर ज़ाहिर न करें । और फ़रमाता है---- ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - औरतें पावँ दहमक कर न रखें के उनका छुपा हुआ सिंगार ज़ाहिर हो ।

मरअला 76- दफ़अे वबा (हैज़ा, चेचक, पीलेग वग़ैरा जैसी बीमारी को

भागाने) के लिए अज़ान देना दुरूस्त है या नही ?

जवाब : दुरूस्त है । फ़क़ीर ने ख़ास इस मस्अले में रिसाला "نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا" लिखा ।

मस्अला 77– अज़ान बारिश के वासते देना दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब : दुरूस्त है । اولاحظرمن الشرع अज़ान ज़िक्रे इलाही है और बारिश रहमते इलाही और ज़िक्रे इलाही रहमत के नाज़िल होने का सबब है ।

मस्अला 78– हाथी पर सवार होने की हालत में हाथी ने सून्ड उठा कर फंकारा और उस की नाक या हलक़ के पानी की छीटें कपडो़ पर पड़ी ऐसी सूरत में कपड़े पाक रहे या नही ?

जवाब : अगर रूप्या भर से ज्यादा जगह मे पड़े कपड़े ना पाक हो गये ।

मस्अला 79– हाथी पर सवार होना जाइज़ है या ना जइज़ दूसरी सूरत मे मकरूह है या हराम ?

जवाब : हाथी पर सवार होना मकरूह है और इमाम मुहम्मद के नज़दीक हराम के वोह उसे ख़ीन्ज़ीर की तरह ख़ास नजिस जानते है । बहेर हाल बचना चाहिये ।

मस्अला 80– हौज़ दह दरदह से मुराद दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौडा़ है या कुछ और, क्या उस हौज़ की गहराई भी शरीअत मे मुक़र्रर है या नही ?

जवाब : वोह दह दरदह से मुराद सौ हाथ का फ़ासला है मसलन दस, दस हाथ लम्बाई व चौड़ाई या पचास हाथ लम्बाई चार हाथ चौड़ाई, या पचास हाथ लम्बाई दो हाथ चौडाई और गहराई इतनी (होना) चाहिये के चिल्लू लेने से ज़मीन न खुले ।

मस्अला 81– उस्तने हिनाना यानी वोह सुखे दरख्त का तना जिस से हुज़ूर पुरनूर صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم तकीया लगा कर वअज़ फ़रमाया करते थे और जिस का किस्सा हज़रत मौलाना रूम رحمۃ اللہ علیہ ने "मस्नवी शरीफ़" में तहरीर फ़रमाया है क्या उसको हुज़ूर ने दफ़न किया और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी ?

जवाब : नमाज़े जनाज़ा पढ़ना ग़लत है और मिम्बर शरीफ़ के नीचे दफ़न करना एक रिवायत में आया है ।

मस्अला 82— एक वाइज़ (तक़रीर करने वाले) साहब ने बयान किया के एक मरतबा रसूले करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ने हज़रत जिब्रील علیہ السلام से दरयाफ़्त किया के तुम वही कहाँ से लाते हो और किस तरह लाते हो, आप ने जवाब में अर्ज़ किया के एक पर्दे से आवाज़ आती है, हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया के कभी तुम ने पर्दा उठा कर देखा ? उन्हों ने जवाब दिया के मेरी येह मजाल नहीं के पर्दा उठा सकूँ, आप ने फ़रमाया अब के पर्दा उठा कर देखना, जिब्रील علیہ السلام ने ऐसा ही किया क्या देखते है के पर्दे के अन्दर खुद हुज़ूर पुर नूर जलवा फ़रमा है और ईमामा सर पर बान्धे है और सामने शीशा रखा है और फ़रमा रहे है के मेरे बन्दे को येह हिदायत करना । येह रिवायत कहाँ तक सही है अगर ग़लत है तो इस का बयान करने वाला किस हुक्म के तहेत में दाख़िल है ?

जवाब : येह रिवायत महेज़ झूट और बक्वास व तोहमत है और उसका यूँ बयान करने वाला इब्लीस का मस्ख़रह है और उस के ज़ाहिरी मज़मून का मानने वाला तो साफ़ खुला काफ़िर है ।

मस्अला 83— ज़ैद (एक शख़्स) हिन्दूओं के फ़क़ीरों (जिन को सन्नयासी कहते है) की शक्ल बनाए रहता है नंगे सर नंगे पावं एक हाथ में लुटियाँ, रंगा हुआ कपडा ओढ़े रहता है एक मुसलमान से मुसाफ़ा किया तो एक हाथ बड़ाया उस ने कहा दूसरा हाथ भी लाओ तो कहा दूसरा हाथ मेरा हिन्दू है, इसी ज़ैद के पास एक हिन्दू अपने लड़के को लाया के इसे चेला बनालो ज़ैद ने उस लड़के को ओम (ॐ) कहला कर अपना चेला बना लिया बावजूद इन बातों के येह ज़ैद पीरे तरीक़त बना है मुसलमानों को मुरीद करता है और कहता है के मै ने हदीस की सनद देव बन्द से हासिल की है येह अपने आप को बक्र का ख़लीफ़ा कहता है, बक्र यहाँ के मुसलमानों का पीर था ?

जवाब : जो बातें मस्अले बयान की गई उस के मुताबिक़ वोह शख़्स अपने इक़रार से आधा हिन्दू है और इस्लाम व कुफ़्र में हिस्से नहीं जो एक हिस्सा हिन्दू है वोह पूरा हिन्दू है तो वोह यक़ीनन उसका इक़रारी कुफ़्र है और अपने कुफ़्र का इक़रार यक़ीनन अल्लाह के नज़दीक भी काफ़िर है । "फ़ुसूले एमामी" व फ़तावे "आलमगीरी" में है-- قال انا ملحد يكفر ولو قال ما علمت

-اکفر لایعذر ابداً और उस को ओम (ॐ) कहला कर चेला बनाना उस के कुफ़्र पर रजिस्ट्री है और देव बन्द को सनद से सनद लना उसके कुफ़्र का तीसरा सुबूत है, काफ़िरों की तरह हुलिया बनाए फिरना ही उसके हाल की ख़बासत को काफ़ी था, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते है---من تشبہ بقوم فھو منھم (जो जिस कौम की नक्ल करे वोह उन्ही में से है) उन कुफ़्रो ने वज़ाहत कर दी । उस के हाथ पर बैत हराम बल्कि उस के कुफ़्रो को जानने के बाद फिर उसे पीर बनाना या ख़बर होने के बाद पीर समझते रहना ख़ुद कुफ़्र है ।

मस्अला 84- बक्र का इन्तेकाल हो गया येह बक्र पीरी मुरीदी करता था, ख़ानदाने कादरिया में कोई साहब कुतबुद्दीन का ख़लीफ़ा था, और ख़ानदाने चुस्तिया में (मौलवी) कासिम नानूतवी का, अपने मुरीदों को दोनों शिजरे देता था, उम्र जिसकी गवाही शरीअत मुतहरह में मक्बूल है कहता है के बक्र का येह वाके़अ मेरे सामने गुज़रा के एक शख़्स ने बक्र से कहा के बरेली के ओ़लमा देव बन्द वालों को वहाबी कहते है बक्र ने गुस्से में आ कर फ़ौरन कहा के जो शख़्स देव बन्द वालों को वहाबी कहे ख़ुद वहाबी है, बक्र के ख़लीफ़ा से येह भी मालूम हुआ के बक्र ने देव बन्द में हदीस की सनद हासिल की है अब बक्र के मुरीदों को बक्र से बैत टोड़ना ज़रूरी है या नहीं ? ज़रा तफ़्सील से बयान फ़रमा दीजिये, मौला तआ़ला आप हज़राते ओ़लमा-ए-किराम के वक्तों में बरकत अ़ता फ़रमाए ।

जवाब : मौला عزوجل मुसलमानों पर अपनी रहमत रखे, क्या ओ़लमा-ए- .हरमैन शरीफ़ैन (मक्का के ओ़लमा-ए-किराम) के अज़ीम व मुफ़स्सल फ़तावा-ए-मुबारेका "हुस्समुल हरमैन अला मुनहरिल कुफ़्रे वल मैन" के बाद किरी और तफ़सील की ज़रूरत है ! उस में (मौलवी कासिम) नानुतवी व देबन्दियों के बारे में साफ़ साफ़ खुला लिखा है के-من شک فی کفرہٖ فقد کفر जो उन के कुफ़्र में शक करे वोह भी काफ़िर है । न के मुसलमान समझना, न के साहिबे इरशाद जानना न के पीर बनाना, तो बक्र के मुरीदों को बैत टोड़ना क्या मअ़ने बैत है ही नही टोड़ी क्या जाएगी । हॉं उन पर फ़र्ज़ है के बक्र को पीर न समझे वरना येह भी उसी की तरह इस्लाम से ख़ारिज होंगे । अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है---- من یتولھم منکم فانہ منھم

और फ़रमाता है------ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ।

मस्अला 85– हिन्दह जो बक्र की बीवी है वोह इस क़द्र माल के ज़ेवरात पहेने हुए है जिन पर ज़कात देना फ़र्ज़ है क्या येह ज़कात बक्र पर फ़र्ज़ है या हिन्दह पर ?

जवाब : अगर ज़ेवर जहेज़ का है या बक्र ने बनवा कर हिन्दह को मालिक कर दिया है तो ज़कात हिन्दह पर है बक्र से कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं और अगर ज़ेवरों का मालिक बक्र है हिन्दह को पहेन्ने को दिया है तो ज़कात बक्र पर है हिन्दह से तअ़ल्लुक़ नहीं ।

मस्अला 86– (हिनदह पर ज़कात फ़र्ज़ है और) हिन्दह के पास सिवाए उन ज़ेवरात के नक़्दी कुछ नहीं बक्र उस को हर साल के ख़त्म होने पर ज़कात अदा करने के वासते रूपये इस शरत पर देना चाहता है के वोह येह रूप्या अपने निकाह के महेर से वज़ा (कम) करती रहे क्या बक्र को इस तरह देना और हिन्दह का इस तरह बक्र से लेकर ज़कात अदा करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : इस तरह देना, लेना दोनों जाइज़ है और दोनों के लिए अज्र हैं ।

मस्अला 87– अगर बक्र बावजूद हैसियत रखने के हिन्दह को ज़कात अदा करने के वासते हिन्दह को रूप्या न दे तो बक्र पर शरअ़न कोई इलज़ाम है या नहीं और ऐसी सूरत में हिन्दह को ज़ेवरात में से किसी ज़ेवर को बेच कर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा या नहीं ?

जवाब : शौहर पर कुछ इलज़ाम नहीं के औरत की ज़कात अदा करे अगर न देगा उस पर इलज़ाम नहीं औरत जो ज़ेवर की मालिक है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसे लाज़िम है के जहाँ से जाने ज़कात दे अगरचे ज़ेवर ही फ़क़ीर को दे कर या बेच कर उस की क़ीमत से (अदा करे) ।

मस्अला 88– ज़ेवरात मसलन नवंगे, जोशन, टीका, बुधी, पहुँची, वग़ैरा में (धागे के) डोर पड़े है जैसा के आम तौर पर औरतें धागों में पूरो कर पहेनती है और कुछ ज़ेवरात मसलन आरसी, टीका, नवंगे, वग़ैरा में नग व शीशे जड़े है ऐसी सूरत में ज़ेवरात का वज़न किस तरह किया जाए अगर डोरे व नग वग़ैरा अलग किये जाते है तो ज़ेवरात ख़राब होते है क्योंकि कुछ में

जड़ाई मज़बूत होती है क्या ज़ेवरात को नग वग़ैरा के साथ ही वज़न किया जाए और कुल वज़न पर ज़कात दी जाए, या अन्दाज़े से नग व ड़ोरे का वज़न कम कर दिया जाए ?

जवाब : ज़कात सिर्फ़ सोने चान्दी पर ही है । लाख, नग, शीशे, ड़ोरे पर नहीं अगर जड़ाओ ज़ेवर में सूने चान्दी का वज़न मालूम हो तो बहुत अच्छा वरना ज़्यादा से ज़्यादा अन्दाज़ लगा ले जिस में यक़ीन हो के इस से ज़्यादा न होगा, अगर होगा तो कम होगा । और एक तरीक़ा येह भी है के किसी बर्तन में पानी भरे और कॉटे (तराज़ू) के एक पल्ले में ज़ेवर रख कर येह पल्ला उस पानी में रखे इस तरह रखें के बीच में रहे न तो पानी से कुछ हिस्सा बाहर हो न बर्तन की तह तक पहुँच जाए दूसरा पल्ला बर्तन से बाहर हवा में रखें अब उसमें बाट (वज़न) ड़ाले यहाँ तक के कॉटा बराबर आ जाए येह वज़न सिर्फ़ चान्दी सोने का होगा, नग, लाख, वग़ैरा का वज़न उस में न आऐंगा, चन्द बार ऐसी चीज़ें जिन का वज़न मालूम हो उस से इम्तीहान कर के देखें अगर जवाब सही आए तो येह तरीक़ा आसान है ।

मस्अला 89– हिन्दह ज़कात का रूप्या अपने शौहर बक्र को दे कर येह कहती है के तुम येह रूप्या मेरी तरफ़ से मुस्तहिक़ (ज़कात लेने के हक़दार) लोगों को दे दो, बक्र उस रूपये को ले कर किसी दूसरे शख़्स को देता है के वोह हिन्दह की जानिब से किसी को ज़कात दे दे तो क्या हिन्दह को बक्र का वकील बनाना (यानी हिन्दह का ज़कात के रूपये मस्तहिको तक पहुँचाने के लिए अपने शौहर को देना) और बक्र (हिन्दह के शौहर) का उस के बाद किसी दूसरे को वकील बनाना (यानी किसी और शख़्स को ज़कात अदा करने के लिए रूपये देना) जाइज़ होगा ?

जवाब : हिन्दह को इख़्तियार है के अपनी तरफ़ से ज़कात अदा करने के लिए ज़कात का रूप्या अपने शौहर को या जिसे चाहे वकील करे और वकील को इख़्तियार है के जिस भरोसे मन्द आदमी को चाहे वकील कर दे ।

मस्अला 90– किसी फ़क़ीर को ज़कात का रूपया किस क़द्र दिया जा सकता है यानी ज़कात देने वाला जिस क़द्र चाहे या उस (फ़क़ीर) की एक दिन या दो दिन की ज़रूरत के क़ाबिल ?

जवाब : फ़क़ीर को छप्पन (56) रूपये से कम तक देना चाहिये, साड़े सात ($7^{1/2}$) तोले सोना, साड़े बावन ($52^{1/2}$) तोले चान्दी या पूरे छप्पन रूपये का माल न दे जिस में वोह साहिबे निसाब हो जाए और अगर उस के पास कुछ सोना या चान्दी निसाब से कम हाजत से ज़्यादा है तो इतना न दे के उस से मिल कर निसाब हो जाए मसलन वोह दस रूप्ये का मालिक है तो उसे छय्यलीस (46) रूप्ये से कम दे हॉ जो कुछ दिया उस से निसाब के बराबर उसकी हाजत से न बचेगा तो हज़ारों दे सकता है मसलन उस पर दस हज़ार रूप्ये क़र्ज़ है तो उसे दस हज़ार देने में हर्ज नही के वोह इस क़द्र से भी मालिके निसाब न होगा ।

मस्अला 91— हिन्दूओं के मेलो जैसे दसेहरह वग़ैरा मे मुसलमान का जाना कैसा है ? क्या मेलों मे जाने से (जाने वाले) लोगों की औरतें निकाह से बाहर हो जाती है क्या तिजारत (व्यपार) करने वाले लोगों को भी जाना मना है ?

जवाब : उन का मेला देखने के लिए जाना बल्किुल ना जाइज़ है । अगर उनका मज़हबी मेला है जिस मे वोह अपना कुफ़्र व शिर्क करेंगे कुफ़्र की आवाज़ो से चिल्लाएँगे जब तो ज़ाहिर है और येह सूरत सख़्त हराम, और सवाल मे पूछी गई बातें निहायत सख़्त हराम है फिर भी कुफ़्र नही अगर कुफ़्री बातों से दूर है, हॉ مَعَاذَ اللہ (मआज़ल्लाह) उन में से किसी बात को पसंद करे या हलका जाने तो आप ही काफ़िर है इस सूरत मे औरत निकाह से निकल जाएगी और येह इस्लाम से वरना फ़ासिक़ और फ़िस्क़ (फ़ासिक़ होने) से निकाह नही जाता फिर भी सज़ाए शदीद है और कुफ़्रीयात को तमाशा बनाना गुमराही अलग है हदीस मे है--- من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به "जो किसी क़ौम का जथ्था बड़ाए वोह उन्हीं में से है, और जो किसी क़ौम का कोई कम पसंद करे वोह उस काम करने वालों का शरीक है" ।

رواه ابو يعلى في مسنده و علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الامام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه — من قوله ورواه عند الخطيب عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سود مع قوم فهو منهم

और अगर मज़हबी मेला नही (सिर्फ) खेल कूद का मौज मस्ती का है जब भी बुराईयो और खुराफ़ात से ख़ाली नही और बुराईयों का तमाशा बनाना जाइज़ नही । "रद्दुल मोहतार" में है-----كره كل لهو والاطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه

तहतवी सदरे किताब "बयाने उलूम मेहरमा ज़िक्रे शुबदह" में है----

يظهر من ذلك حرمة التفرج عليهم لان الفرجة على المحرم حرام -

"यानी करतब दिखाने वाला, भान मती, बाज़ीगर, की हरकते हराम है और उस का तमाशा देखना भी हराम, के हराम को तमाशा बनाना हराम है" ख़ास कर काफ़िरो की किसी शैतनी खुराफ़ात को अच्छा जाना तो बहुत बड़ी आफ़त है और उस वक्त फिर दो बारा इस्लाम व निकाह का हुक्म किया जाएँगा । "ग़म्ज़ुल उयून" में है---- اتفق مشائخنا ان من رأى امر الكفار حسنا فقد كفر حتى قالوا فى رجل قال ترك الكلام عند اكل الطعام حسن من المجوس وترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فهو -

और अगर तिजारत के लिए जाए तो अगर मेला उनके कुफ़ व शिर्क का है तो जाना ना जाइज़ व मम्नूअ (मना) है के अब वोह जगह उन के पूजा पाट की जगह है और कुफ़्फ़ार की पूजा पाट की जगहो में जाना गुनाह है । "यतीमिया" फिर "ततार ख़निया" फिर "हिन्दिया" में है----يكره للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة وانما يكره من حيث انه مجمع الشياطين -

बल्कि "रद्दुल मोहतार" में है----- فالظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند اطلاقهم

और अगर (वोह मेला) खेल कूद मौज मस्ती का है और खूद उस से बचे न उस मे शरीक हो न उसे देखे न वोह चीज़े बेचे जो उनके खुराफ़ात, मौज मस्ती की हो तो जाइज़ है फिर भी मुनासिब नही, के उनका मजमा है हर वक्त लअनत की जगह तो उस से दूरी ही में ख़ैर है लिहाज़ा ओलमा ने फ़रमाया के उनके महल्ले में हो कर निकले तो जल्द लम्बे लम्बे कदम बढ़ाते हुए गुज़र जाए । "गुन्यातुज़्ज़व्वीयुल अहकाम" फिर "फ़तहुल्लाह" फिर "तहतवी" में है-----لانهم محل نزول اللعنة فى كل وقت ولاشك انه يكره السكون فى مجمع يكون كذلك بل وان مر فى امكنتهم الا ان يهرول ويسرع وقد ورد بذلك آثار -

अगर खूद शरीक हो या तमाशा देखे या उन के बुरे मज़े की चीज़े बेचे तो आप ही गुनाह व ना जाइज़ है । "दुर्रे मुख्तार" में है---- قدمنا معزيا للنهر

انما قامت المعصیة بعید کرہ بیعہ تحریما وان فتنزیہا ۔

"फ़तावे आलमगीरी" में है— اذا ارادہ المسلم ان یدخل دار الحرب للتجارۃ ومعہ فرسہ وسلاحہ وہو لا یرید بیعہ منہم لم یمنع ذلک منہ ۔

हाँ एक सूरत जाइज़ होने की है वोह येह के आलिम उन्हें हिदायत और इस्लाम की तरफ़ दावत के लिए जाए जब के उस पर कादिर हो के यह जाना अच्छा व नेक नियत से हो अगरचे उनका मजहबी मेला हो ऐसा तशरीफ़ ले जाना ख़ुद हुजूर सैय्यदे आलम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم से बहुत बार साबित है । मुश्रेकीन का मौसम भी ऐलाने शिर्क होता लब्बैक में कहते لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک । जब वोह जाहिल لا شریک لک तक पहुँचते रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते ویلکم قط قط ख़राबी हो तुम्हारे लिए बस बस यानी आगे न बड़ाओ ।

मस्अला 92— मैय्यत के दफ़्न के बाद क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जाइज़ है फ़कीर ने ख़ास इस मस्अले पर रिसाला (किताब) "ایذان الاجر فی اذان القبر" लिखा [1]।

मस्अला 93— कुरआने अज़ीम किस तरह जमा हुआ और किस ने जमा किया ?

जवाब : कुरआने अज़ीम की जमा व तरतीब आयतों की व सूरतों की तफ़्सील हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم के ज़माने अक़्दस में अल्लाह के हुक्म और जिब्रीले अमीन علیہ السلام के बयान करने और हुज़ूर सैय्यदुल अलामीन के इरशाद व तअलीम करने से मुकम्मल हुआ था । मगर कुरआने अज़ीम सहाबा-ए-किराम رضی اللہ تعالیٰ عنہم के सीनो और मुख़्तलिफ़ काग़ज़ो पत्थरों बकरी, दुम्बे, के चम्डों शानों पस्लीयों की हड्डीयों वग़ैरा पर लिखा हुआ था एक जगह जमा न था । हज़रत सिद्दीक़े अकबर رضی اللہ عنہ के ख़िलाफ़त के ज़माने में झूटे नुबुव्वत के दावेदार मुसीलेमा कज़्ज़ाब मरदूद से "जंगे यमामा" हुई जिस में सैकडों सहाबा-ए-किराम जो कुरआने अज़ीम के हाफ़िज़ थे उन्हों

1- ना चीज़ सगे रज़ा इस किताब का हिन्दी तर्जमा "अज़ाने क़ब्र" के नाम से पेश कर चुका है । फ़ारूक़ ।

ने शहादत पाई अमीरूल मोमेनीन हज़रत फ़ारूके अजा़म رضی اللہ عنہ के दिल में अल्लाह عزوجل ने येह बात डा़ली (के क़ुरआन को एक जगह जमा किया जाए) आप ख़लीफ़तुर्रसूल हज़रत सिद्दीके अकबर رضی اللہ عنہ की बारगाह में हाज़िर हुए और गुज़ारिश की के लड़ाई में बहुत से सहाबा जिन के सीनों में कुरआने अज़ीम था शहीद हुए है अगर यूँही जिहादों में कुरआने के हाफ़िज़ सहाबा शहीद होते गये और कुरआने अज़ीम अलग अलग रहा तो बहुत कुरआन जाते रहने का अन्देशा है मेरी राए में हुक्म दीजिये के सब सूरतों को एक जगह जमा कर दिया जाए । ख़ालीफ़तुर्रसूल हज़रत सिद्दीके अकबर رضی اللہ عنہ ने उनकी इस राए को पसंद फ़रमाया और हज़रत ज़ैद बिन साबित वग़ैरा क़ुरआन के हाफ़िज़ सहाबा رضی اللہ تعالیٰ عنہم इस अज़ीम काम का हुक्म दिया, के (इस तरह) सारा कुरआने अज़ीम एक जगह जमा हो गया हर सूरत अलग एक सहीफ़े (अलग अलग किताब की शक्ल) में थी वोह हज़रत सिद्दीके अकबर رضی اللہ عنہ की हयात तक आप के पास रहे और उनके बाद अमीरूल मोमेनीन सैय्यदना फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ और उनके बाद हज़तर उम्मुल मोमेनीन हफ़्सा رضی اللہ عنہا (जो हज़रत फ़ारूके आज़म की साहबज़ादी और हुज़ूर صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم की बीवी थी) उनके पास रहे । अ़रब की हर कौ़म व क़बीला बाज़ अलफ़ाज़ों के तलफ़्फ़ुज़ में मुख़तलिफ़ था मसलन हुर्फ़े तअ़रीफ़ में कोई "अलीफ़ लाम" कहता था कोई "अलीफ़ मीम" इसी क़िस्म के बहुत फ़र्क़ लहेजा व पढ़ने के अन्दाज़ थे हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم के ज़ाहिरी ज़माने में कुरआने अज़ीम नया उतरा था और हर कौ़म व क़बीला को अपने पुराने मादरी लहजे का अचानक बदल देना मुश्किल था, आसानी फ़रमाई गई थी के हर अ़रब कौ़म अपने अन्दाज़ व लहजे में कुरआने करीम की क़िर्अत करे नुबुव्वत के ज़माने के बाद मुख़तलिफ़ कौमों से कुछ लोगों के ज़हेन में जम गया के जिस लहजे व लुग़त में हम पढ़ते है उसी में कुरआने अज़ीम नाज़िल हुआ है यहाँ तक के अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ के ज़माने में कुछ लोगों को इस बात पर जंग व झगड़ा होने की नौबत पहुँच गई । जब येह ख़बर अमीरूल मोमेनीन को पहुँची फ़रमाया अभी से तुम में येह इख़्तेलाफ़ पैदा हुआ तो आगे क्या उम्मीद है लिहाज़ा हज़रत अ़ली मुरतज़ा کرم اللہ وجہہ व दूसरे जलीलुल क़द्र सहाबा-ए-किराम رضی اللہ تعالیٰ عنہم के मशवरे से येह क़रार पाया के वोह कुरआन की अलग

अलग सूरते जो ख़लीफ़ा-ए-रसूल हज़रत सिद्दीके अकबर رضی اللہ عنہ ने लिखवाई थी और हज़रत उम्मुल मोमेनीन बिन्त फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ के पास महफ़ूज़ है मॅगा कर उन की नक़्लें ले कर तमाम सूरतों एक किताब की शक्ल में जमा करें और वोह कुरआन इस्लामी शहरों में भेज दे के सब इस लहजे की पैरवी करें उसके ख़िलाफ़ अपने अपने ढंग के मुताबिक जो सूरतों की तरतीब कुछ लोगों ने लिखे है फ़िले के ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर दिये जाऐं। सब की राए की बिना पर अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ ने हज़रत उम्मुल मोमेनीन से कहला भेजा के सिद्दीके अकबर की लिखवाई हुई सूरतों की किताबें भेज दीजिये, हम उनकी नक़्ले ले कर शहरों को भेजें और अस्ल आप को वापस देंगे, उम्मुल मोमेनीन ने भेज दिये अमीरूल मोमेनीन हज़रत ऊसमान ने ज़ैद बिन साबित व अब्दुल्लाह बिन जुबैर व सईद बिन आस व अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हेशाम رضی اللہ تعالیٰ عنہم को नक़्ले करने को हुक्म दिया वोह नक़्ले मक्का-ए-मुअज़्ज़मा व मुल्के शाम व यामन व बैहरेन व बसरह कूफ़ा को भेजी गई और एक मदीन-ए-तय्यबा में रही और अस्ल सहीफ़े जिन से येह नक़्लें हुई थी हज़रत उम्मुल मोमेनीन हफ़्सा رضی اللہ عنہا को वापस दिये उन की निस्बत दफ़्न करने या किसी तरह ख़त्म करा देने का बयान बिल्कुल झूट है वोह मुबारक सहीफ़े ख़िलाफ़ते ऊसमानी फिर ख़िलाफ़ते अली फिर ख़िलाफ़ते इमाम हसन फिर सलतनते अमीर मअवीया رضی اللہ تعالیٰ عنہم तक वैसे के वैसे महफ़ूज थे यहाँ तक के मरवान ने लेकर फाड़ दिये। अस्ल कुरआने अज़ीम तो अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त के हुक्म, हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल असयाद صلی اللہ علیہ وسلم के तरतीब हो चुका था सब सूरतों को एक जगह करना बाक़ी था वोह अमीरूल मोमेनीन सिद्दीके अकबर رضی اللہ عنہ ने हज़रत फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ के मश्वरे से किया फिर सिद्दीके अकबर के उसी जमा किये कुरआन से हज़रत अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ ने हज़रत अली کرم اللہ وجہہ के मशवारे से नक़्ले उतरवा कर इस्लामी शहरों में फलाऐं और तमाम उम्मत को (हुज़ूर के ख़ानदान कुरैश) के लहेजे पर जमा होने की (यानी उसी अन्दाज़ व तरतीब व लहेजे से पढ़ने की) हिदायत फ़रमाई इसी वजह से वोह जनाब "जामेउल कुरआन" (कुरआन को जमा करने वाले) कहलाए वरना हकीक़त में जामेउल कुरआन रब्बुल ईज़्ज़त عزوجل है, जैसा के अल्लाह तआला ने फ़रमाया-- ان علینا جمعہ وقرانہ

और ज़ाहिरी नज़र से देखा जाए तो हुज़ूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم और एक जगह जमा करने के लिहाज़ से सब से पहले जामेउल कुरआन हज़रत सिद्दीके अकबर है । इमाम जलालुद्दीन सुयूती رحمۃ اللہ علیہ "इत्कान शरीफ़" में फ़रमाते है----- قد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور۔

अमीरूल मोमेनीन मौला अली کرم اللہ وجہہ फ़रमाते है--- اعظم الناس فی المصاحب ...

सही बुखारी शरीफ़ में है------ حدثنا موسى ثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمن وكان يغازى اهل الشام فى فتح ارمينية وآذربيجان (الخ)---

देखो येह इदीस सही बुखारी की साफ़ गवाह इन्साफ करने वाली है के अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने गनी ने लहेजे व पढ़ने के एख़तेलाफ़ सुन कर सहीफ़े सिद्दीकी हज़रत हफ़्सा से मँगाए और उन्हीं की नक्लें बना कर इस्लामी शहरों में भेजे और वोह नक्ल करने के बाद हज़रत उम्मुल मोमेनीन को वापस दे दिये ।

मस्अला 94- क्यां उम्मुल मोमेनीन आएशा सिद्दीका رضی اللہ عنہا के पास कोई ख़ास कुरआन था के जिस से दूसरे कुरआन के नुस्खे दुरूस्त किये गए ?

जवाब : उम्मुल मोमेनीन आएशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا के पास कोई ख़ास कुरआन न था बल्कि वोह सिद्दीके अकबर व फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ का उम्मुल मोमेनीन हज़र हफ़्सा رضی اللہ عنہا के पास था जिस का हाल उपर गुज़रा ।

मस्अला 95- मस्जिद कानपूर के वासते बाज़ लोगों ने चन्दा जमा किया मगर रवाना नही किया अब क्या करना चाहिये ? क्या दूसरे अच्छे काम में मसलन मस्जिद या मदर्से वगैरा में ख़र्च कर सकते है या नहीं ?

जवाब : जिन जिन से चन्दा लिया है उन की राए व इजाज़त से दूसरे अच्छे कामों में ख़र्च किया जा सकता है (मगर) बग़ैर इजाज़त नही ।

मस्अला 96- तक़य्या (यानी अपना मज़हब छुपाने) में क्या क्या बुराई है ?

जवाब : तक़य्या की बुराईयाँ क्या मोहताजे बयान है तक़य्या-ए-रवाफ़ज़ (शिअयों का तकय्या) और निफ़ाक (कपट, फरेब) एक चीज़ है । अल्लाह عزوجل फ़रमाता है----- واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزءون۔ *तर्जमा :-* जब (मुनाफ़िक) मुसलमानों से

मिले तो कहे हम ईमान लाए है और जब अपने शैतानों के पास अकेले हो तो कहे हम तो तुम्हारे साथ है हम तो (मुसलमानों से) ठठ्ठा (हँसी मज़ाक) करते है । रसूलुल्लाह صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم फ़रमाते है---- من کان لہ وجہان فی الحیوۃ کان لہ
जो दो रूखा होगा कियामत के दिन दोज़ख़ की आग की दो ज़बाने उस के मुँह में रखी जाएँगी ।
(रिवायत किया इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम शरीफ ने हज़रत अम्मार यासर رضی اللہ عنہ से सही सनद के साथ) और हदीस में आया है---- تجدون من شر عباد اللہ لہ اکثرہم شرا
یوم القیمۃ ذوالوجہین الذی یاتی ہولاء بحدیث ویاتی ہولا بحدیث - امن شرح الطریقۃ المحمدیۃ ذوالوجہین -

जो यहाँ उनकी सी कहे और वहाँ उनकी सी वोह कियामत के दिन उन्ही में होगा जो तमाम मख़लूकात से बदतर है ।(रिवायत किया इसे बुखारी व मुस्लिम शरीफ़ व इब्ने अबीयुद्दुनिया ने हज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ से सही सुबूत के साथ)

मस्अला 97— बला को भगाने के वासते जो जानवर ज़ब्ह किया जाए उसकी खाल ज़मीन के नीचे दफ़्न करना कैसा है ?

जवाब : खाल का दफ़्न करना सिर्फ़ ना जाइज़ है, बला को दूर करने के लिए शरीअत ने सदका मुक़र्रर फ़रमाया है खाल भी मिस्कीन (मोहताजों) को दे या किसी अहले सुन्नत के मदर्से में पहुँचा दे ज़मीन में दफ़्न कर देना माल की बर्बादी है और माल बर्बाद करना हराम ।

मस्अला 98— अस्र का वक्त मुस्तहब कौनसा है जमाअत कितने बजे होना चाहिये ?

जवाब : अस्र का वक्त मुस्तहब हमेशा उसके वक्त का अधा आख़री हिस्सा है मगर राज़े बदली हो तो जलदी की जाए ।

मस्अला 99— फ़ज्र की नमाज़ का मुस्तहब (बेहतर) वक्त कौनसा है और जिस जगह आसमान का किनारा साफ नज़र आता हो वहाँ तलू (सूरज के निकलने) और गुरूब (सूरज के डूबने) की क्या पहचान है ?

जवाब : फ़ज्र का मुस्तहब वक्त उसके वक्त का आखरी आधा हिस्सा है मसलन अगर आज एक घन्टा 20 मिन्ट की सुबह हो तो उस वक्त सूरज

निकलने में 40 मिन्ट बाकी रहें और अफ़ज़ल येह है कि नमाज ऐसे वक्त 40 या 60 आयतों से पढ़ी जाए के अगर नमाज़ में कोई ख़राबी साबित हो तो फिर तलू से पहले यूँही दोहराई जा सके । इस का लिहाज़ रख कर जितनी भी ताख़ीर की जाए अफ़जल है । जब आसमान का किनारा साफ नज़र आता है और बीच में दरख्त वग़ैरा कुछ आड नहीं तो तलू येह है के सूरज की पहली किरन चमके और ग़ुरूब येह है कि आखरी किरन निगाह से गाएब हो जाए ।

मस्अला 100– मग़रिब की अज़ान और जमाअ़त कब होना चाहिये और मग़रिब का वक्त कितनी देर तक रहता है ।

जवाब : (सूरज) ग़ुरूब होने का जिस वक्त यक़ीन हो जाए हरगिज़ देर अज़ान व इफ़्तार में न की जाए उसकी अज़ान व जमाअ़त में फ़ासला नहीं । मगरिब का वक्त मिरठ में कम अज़ कम एक घन्टा और ज्यादा एक घन्टा 19 मिन्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घन्टा 36 मिन्ट है ।

मस्अला 101– (इकामत में) तक्बीर से पहले कुछ बैठे हो और कुछ खडे हो तो क्या तक्बीर शुरू होते ही सब को खडा होन चाहिये या बैठ जाना चाहिये, अगर बैठे रहें तो किस लफ़्ज़ पर खडा होना चाहिये । अगर तक्बीर शुरू होते ही फ़ौरन खड़े हो जाएँ तो कुछ हर्ज नही है ?

जवाब : तक्बीर खड़े हो कर सुन्ना मकरूह है यहाँ तक कि "इज़ाह" में फ़रमाया के अगर तक्बीर हो रही है और मस्जिद में आया तो बैठ जाए और जब मुकब्बीर (इकामत पढ़ने वाला) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (हय्य अलल फ़लाह) पर पहुँचे उस वक्त सब खड़े हो जाएँ ।

मस्अला 102– चार रकअ़त वाली नमाज़ में इमाम दो रक्अत के बाद बैठा और अत्तहीयात के बाद दुरूद शरीफ़ शुरू कर दिया मुक्तदी को मालूम हो गया ऐसी हालत मे मुक्तदी इमाम को इशारह कर सकता है या नही और अगर कर सकता है तो किस तरह ?

जवाब : उस का मालूम होना मुश्किल है के इमाम आहिस्ता पढ़ेगा, हाँ अगर येह इतना करीब है के उसकी आवाज़ उस ने सुनी के अत्तहीयात के बाद उसने दुरूद शरीफ़ शुरू किया तो जब तक इमाम اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

(अल्लाहुम्मा सलले अला) से आगे नहीं बड़ा है येह سُبْحَانَ اللّٰہِ (सुबहनल्लाह) कह कर बताए और अगर اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا - (अल्लाहुम्मा सलले अला सैय्यदना) या اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ (अल्लुम्मा सलले अला मुहम्मदिन) कह लिया तो अब बताना जाइज़ नहीं बल्कि इन्तेज़ार करे अगर इमाम को खुद याद आए और खडे हो जाए तो बहुत खूब और सलाम फेरने लगे तो उस वक्त बताए उससे पहले बताएँगा तो बताने वाले की नमाज़ जाती रहेगी और उसके बताने को इमाम लेंगा तो उस की और सब की जाएगी ।

मस्अला 103– क्या फ़रमाते है ओलमा-ए-दीन व शरए मतीन इस मस्अले में के ज़ैद ने बक्र से दस रूपये क़र्ज़ के तौर पर माँगे बक्र ने ज़ैद को बजाए रूपये के दस का नोट दे दिया उस पर उसने बट्टा दिया और फिर ज़ैद ने रूपया वापस दिया तो वोह पैसे जो बट्टा मे लगे है सूद हुआ या नही ?

जवाब : बट्टा जो बनिये को दिया है वोह क़र्ज़ देने वाले के लिए सूद नहीं हो सकता ज़ैद बक्र को दस रूपये दे या दस का नोट ।

मस्अला 104- इमाम ने पहली या दूसरी रक्अत में सूरए फ़ातिहा के बाद कोई सूरत शुरू कि मस्लन सूरए रेहमान शरीफ़ के उसकी पहली आयत बहुत छोटी है और पहली ही आयत पढ़ी थी के हदस हो गाया (यानी इमाम का वुज़ू टूट गया) अब जिस शख़्स को इमाम ने ख़लीफ़ा बनाया (यानी नमाज़ पढ़ाने के लिए अपनी जगह खडा किया) उसको सूरए रेहमान याद नही है तो ख़लीफ़ा को अब किस जगह से शुरू करना चाहिये या तीसरी या चौथी रक्अत में इमाम का वुज़ू कियाम या अत्तहीयात की हालत में टूटा अगर इमाम बिल जहेर (यानी बुलन्द आवाज़) से पढ़ रहा था तो ख़लीफ़ा को खुद ही मालूम हो जाएगा अगर आहिस्ता पढ़ रहा था तो किस तरह इशारह करे या बताएँ ?

जवाब : ख़लीफ़ा करने के मसाइल में 13 शरतें है अव्वाम पर उन की पाबन्दी मुश्किल है और फिर भी अफज़ल यही है कि नये सिरे से पढ़े तो अफज़ल को छोड़ का मुश्किल में क्यों पढ़े और अगर ऐसा हो तो जिसे सूरए रेहमान याद नही वोह उसके बाद किसी सूरत की कुछ आयतें पढ़ दे और कियाम व अत्तहीयात में हाल मालूम न हो तो फ़ातिहा व अत्तहीयात शूरू से पढ़े ।

मस्अला 105- अगर इमाम रूकू के बाद سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ (समीउल्लाहो लेमन हमीदह) कह कर اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द) भी बुलन्द आवाज़ से कहता है तो उस के वासते क्या है दुरूस्त है या नही अगर इमाम رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (रब्बना लकल हम्द) न कहे बल्कि एक शख्स जो अलग नमाज़ पढ़ रहा है वोह कहता है तो क्या हुक्म है ?

जवाब : इमाम को सिर्फ़ سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ (समीउल्लाह लेमन हमीदह) कहना चाहिये उसका رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (रब्बाना व लकल हम्द) कहना और वोह भी आवाज़ से सरासर ख़िलाफ़ सुन्नत है और इमाम के سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ (समीउल्लाहो लेमन हमीदह) कहने पर उस शख़्स ने कि अलग नमाज़ पढ़ता है जवाब के तौर पर رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (रब्बाना व लकल हम्द) कहा तो उस की नमाज़ जाती रहेगी ।

मस्अला 106- मस्जिद के दुरों (बीच) में अगर मुक्तदी बगैर किसी ज़रूरत खडे हुए तो क्या उन ही मुक्तदीयों की नमाज़ मकरूह होगी या और मुक्तदीयों की भी ?

जवाब : सिर्फ़ उन्ही मुक्तदीयों के लिए मकरूह होगी जो बगैर ज़रूत दुरों (मस्जिद के बीच) में खडे हुए न और मुक्तदियों की हाँ इमाम को चाहिये के उन लोगों को इस से मना कर दें । दुर्रे मुख़्तार में है--- وينبغى ان يامرہم بان (الخ)

मस्अला 107- क्या फ़रमाते है ओलमा-ए-दीन इस मस्अले में के इमाम मुसल्ले पर खडा हो और मुक्तदी बगैर मुसल्ले यानी सिर्फ सहेन में खडा हो इस सूरत में नमाज़ मकरूह है या नहीं ?

जवाब : नमाज़ में कुछ ख़राबी नहीं के हदीस व फ़िकह में कहीं इस को मना नही किया गया न इमाम की तअज़ीम शरीअत में मना है । "बहरूल राइक" में है--- ———— الكراهة لا بد لها من

अलबत्ता अगर इमाम तकब्बुर के तौर पर ऐसा फ़र्क चाहे तो उसकी येह नियत सख़्त गुनाह व हराम व कबीरह है । अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है---
———— اليس فى جہنم مثوى للمتكبرين --- الاٰیۃ

मस्अला 108- क्या फरमाते है ओलमा-ए- दीन इन मस्अलों में (1)

एक शख्स ने चालीस या पचास हज़ार के मकानात अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर के किराये की गर्ज़ से खरीदे क्या इस सूरत में ज़रूरत से ज़्यादा मकानात में उनकी कीमत के उपर ज़कात फ़र्ज़ है या जो किराया है उस के उपर ? *(2)* जो मकानात की सजावत व खूबसूरती के लिए ताम्बे पीतल चीनी वगैरा के बरतन खरीद कर मकान सजाता है और कभी वोह बरतन इस्तेमाल में भी आते है, इस सूरत में क्या हुक्म है ?

जवाब : *(1)* मकानात पर ज़कात नहीं अगरचे पचास करोड़ के हो किराये से जो साल पूरा होगा उस पर अन्दाज़ हागा उस पर ज़कात आएगी अगर खूद या और से मिल कर निसाब के बराबर हो । *(2)* बरतन घरों के सामान वगैरा पर ज़कात नहीं अगरचे लाखों रूपये के हो ज़कात सिर्फ तीन चीजो पर है सोना चान्दी, कैसे ही हो पहनने के हो या बरतन के या रखने के सिक्के हो या पत्तर या वरक, दूसरे चराई पर छूटे जानवर, तीसरे तिजारत का माल, बक़ी किसी चीज़ पर ज़कात नहीं ।